न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015 नि. 13425/II/15

01. सोहन आ. श्री नारायण सिंह आयु वयस्क
02. नारायण सिंह आ. श्री देवा जी आयु वयस्क
दोनों निवासी ग्राम नयापुरा तहसील इछावर जिला सीहोर ....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

01. रुगनाथ आ. श्री उमराव सिंह आयु वयस्क
02. भगवत आ. श्री दरियाव सिंह आयु वयस्क
दोनों निवासी ग्राम छापर तहसील आष्टा
जिला सीहोर म0प्र0
03. रम्बा बाई पुत्री दरियाव सिंह आयु वयस्क
गुराड़िया तहसील आष्टा जिला सीहोर
04. घीसी बाई पुत्री श्री बक्शी पत्नि माखन आयु वयस्क
निवासी ग्राम लसुड़िया कागंर तहसील इछावर जिला सीहोर
05. शैतान बाई पुत्री बक्शी पुत्री प्रेमसिंह
निवासी कालापीपल तहसील इछावर जिला सीहोर ....रेस्पाण्डेंटगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 03/09/2015 प्रकरण कमांक 01/अपील/13-14 (रुगनाथ विरुद्ध सोहन आदि) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय इछावर।

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

01. प्रकरण कमांक 01/अपील/13-14 (रुगनाथ विरुद्ध सोहन आदि) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ~~तहसीलदार महोदय~~ इछावर दिनांक 03/09/2015

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्तागण माननीय अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय इछावर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पाण्डेंटगण के द्वारा अपील अंतर्गत धारा 44(1) के तहत प्रस्तुत की गई एंव अपील के माध्यम से 27/08/1981 तहसीलदार महोदय की संशोधन पंजी कमांक 44 से असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत करना बताया गया। जिस पर निगरानीकर्तागण के द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत आपत्ति प्रस्तुत की गई एंव आपत्ति में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने अपील आदेश दिनांक 27/08/1981 के विरुद्ध प्रस्तुत न्यायालय में की गई है। पंरतु आदेश की प्रमाणित प्रति

निरंतर पेज 2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R -3425–दो–.2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सोहन विरूद्ध रूगनाथ	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–01–2016	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी इच्छावर के प्रकरण कमांक 01/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 03.09.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एन.एस. ठाकुर द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.09.15 का अवलोकन कर परिशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में यह अंकित करते हुए कि प्रस्तुत पंजी कमांक 30 आदेश दिनांक 30.4.77 तथा दूसरी पंजी कमांक 44 आदेश दिनांक 27.8.81 अंकित है जबकि दर्ज दिनांक 14.11.81 है जिसकी प्रति पेश की गयी है, क्योंकि मूल पंजी वर्ष 1981 की है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की जाकर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्तमान में प्रकरण में गुण दोष पर आदेश जारी न करते हुए ऐसा भी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित हुए हो। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अभी उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्षसमर्थन का पर्याप्त एवं समुचित अवसर उपलब्ध है जहां पर वे अपनी बात रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना–अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी को भी आदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष को समुचित एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए न्यायहित	

प्रकरण कमांक R -3425–दो–.2015 **जिला सीहोर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सोहन विरूद्ध रूगनाथ	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन पर भी पुनः पुनर्विचार कर विधि की मंशा के अनुरूप संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसरण में विधिवत गुण दोष पर बोलता हुआ आदेश जारी करें। उपरोक्त निर्दशों के साथ यह निगरानी प्रकरण प्रथमदृष्ट्या आधारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

12-1-16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य